रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2013/आषाढ़ 20, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 79
No. 116] DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2013/ASADHA 20, 1935 [N.C.T.D. No. 79

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

लोक निर्माण विभाग
(आबंटन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सं. फा. 4(1)/विविध/पी-II/पीडब्लयूडी एवं एच/9387.– मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 का पुनः संशोधन क्ररके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (1) इन नियमों को दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल)(संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **नियम 11 का संशोधन** :– दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 के नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :-

(2) "किसी अधिकारी को आबंटित कोई आवास इसके कालम 2 से सम्बद्ध प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति/घटना के होने पर उप नियम (3) के अधीन रखा जा सकेगा, शर्त यह है कि आवास अधिकारी या उसके परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।

घटनाएं/परिस्थितियां

1. सेवा से त्याग पत्र पदच्युति या बरखास्तगी, सेवा की समाप्ति या अनुमति के बिना अनधिकृत अनुपस्थिति	1 माह

2. सेवानिवृत्ति अनुरोध पर	सामान्य लाइसेंस शुल्क पर 2 माह 6 गुणा लाइसेंस शुल्क पर 1 माह

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. डी. शर्मा, उप-सचिव

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(Allotment Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2013

No. F. 4(1)/Misc./P-II/PWD&H/9387.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Governmetn of NCT of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1977, as following, namely :

1. **Short title and commencement** :- (1) These rules may be called the Government of NCT of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come In to the force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 11** – In the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool) Rules – 1977, for sub-rule (2), in rule 11, the following Shall be substituted, namely :-

(2) "A Residence allotted to an officer may, subject to sub-rule 3 be retained on the happening of any of the **events** specified in the corresponding entry in column 2 thereof, provided that the residence is required for the use of the officers or members of his family.

EVENTS

1. Resignation, dismissal or removal from Service, termination of service or unauthorised absence without permission	**1 month**
2. Retirement On Request	**2 months on normal licence fee** **1 months on 6 times licence fee"**

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

R. D. SHARMA, Dy. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सं. फा. 3(364)/नीति/वैट/438-449.– मै, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 (इसके बाद 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) के मूल नियम 63 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अपेक्षित करता हूं कि सभी टैन धारक (TAN holders) जो कि दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 36ए के अंतर्गत टीडीएस की कटौती के लिए उत्तरदाई हैं, प्रपत्र डीवैट 43 को इलैक्ट्रोनिकली विभाग की वेबसाइट से उत्पन्न कर ठेकेदार(ों) को जारी करेंगे। इस प्रकार उत्पन्न किए गए प्रत्येक सर्टिफिकेट पर एक अद्वितीय पहचान होगी। ठेकेदार अधिनियम की धारा 36ए की उपधारा (6) के अंतर्गत क्रेडिट का दावा करने के लिए अपनी रिर्टन फार्म डीवैट-16/डीवैट-17 भरते समय इन अद्वितीय पहचान संख्य(ों) को उल्लिखित करेगा।

मैं एतद्द्वारा यह भी अपेक्षित करता हूं कि सभी टैन धारक (TAN holders) 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही से अपनी रिर्टन फार्म डीवैट-48 में विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन भरेंगे।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th July, 2013

No. F. 3(364)/Policy/VAT/438-449.—In exercise of the powers conferred by clause(c) of sub-rule (1) of Rule 63 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as 'the Rules'), I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, hereby require that all the TAN holders responsible for deduction of TDS under section 36A of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter referred to as 'the Act'), shall issue TDS certificate electronically in Form DVAT-43 duly generated from the departmental website, to the contractor(s). A unique 10 will be generated on such certificates. The contractor(s) shall mention unique ID Number(s) in his return Form DVAT-16/DVAT-17 for claiming credit under section 36A(6) of the Act.

I also hereby require that all TAN holders shall file the return in Form DVAT-48, online through the departmental website, for each quarter commencing from the quarter ending 30th June, 2013.

This Notification shall come into force with immediate effect.

सं. फा. 7(239)/नीति-1/वैट/2009/424-437.– दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उपनियम 2 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 2 के उपनियम 4 (ख) तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित इलाहाबाद बैंक को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापारी के संबंध में, देय सभी मूल्य संवर्धित कर देयताओं को जमा करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त शासकीय कोषागार के रूप में घोषित करता हूँ ।

2. यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त उपरोक्त बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के पालन के अधीन है:–

(i) जमा राशि को भारतीय रिजर्व बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में मूल्य संवर्धित कर खाते में भौतिक रूप से भुगतान करने की स्थिति में तीन दिन के अंदर तथा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान करने की स्थिति में एक दिन के अंदर या ऐसे कम समय में जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो, में जमा किया जायेगा।

(ii) बिलंब से प्रेषित की जाने वाली राशि पर ब्याज लगाया जाएगा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अद्यतन ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक होगा। ब्याज की राशि की गणना अवधि नगदी/अंतरण लेन देन या समाशोधन प्रलेख पारित करने की स्थिति में प्राप्तकर्ता शाखा में चालान प्राप्ति की तिथि या धनादेश के नगदीकरण की तिथि से प्रारम्भ होकर बैंक के लिंक शैल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय में निपटान की तिथि के पूर्व तिथि तक की जायेगी।

(iii) आगे, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उपनियम (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल्य संवर्धित कर की देयताओं के भुगतान के लिए यह भी निर्धारित है कि समस्त पंजीकृत व्यापारी एवं अनुबंधी (टैन धारक) दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत अपने देयकर, ब्याज, अर्थदंड या कोई अन्य राशि का भुगतान विभाग की वैबसाइट (http://www.dvat.gov.in) पर चालान भौतिक/ऑफलाइन और ई–भुगतान/ऑनलाइन दोनों प्रकार से करेंगे। भौतिक भुगतान/ऑफलाइन भुगतान व्यापारी विभाग की बेवसाइट से अद्वितीय पहचान होने के चालान, नकद या चैक के माध्यम से करेगा । भौतिक/ऑफलाइन के साथ ही ई–भुगतान/ऑनलाइन की ब्यौरा प्रकिया विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

(iv) बैंक के सॉफ्टवेअर को विभाग द्वारा आपेक्षित सभी प्रकार के एम. आई. एस. प्रतिवेदन उत्पन्न करने होंगे और इलेक्ट्रोनिक डाटा संचारित/दैनिक आधार पर विभाग की वेबसाइट (http://www.dvat.gov.in) पर डाटा अपलोड करना है ।

(v) बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

No. F. 7(239)/P-1/VAT/2009/424-437.—In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of Rule 31 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, read with clause (b) of sub-rule 4 of rule 2 of the said Rules and Section 36 Delhi Value Added Tax Act, 2004, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, do hereby notify Allahabad Bank located in the National Capital Territory of Delhi, as one of the Appropriate Government Treasury for the purpose of deposit of all Value Added Tax dues in relation to a dealer, who is registered under the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

2. This notification is subject to the fulfilment of following conditions by the aforesaid bank in addition to the guidelines issued by the Reserve Bank of India on the subject:

(i) The funds shall be remitted to the Value Added Tax Account with Reserve Bank of India, Parliament Street, New Delhi within three days in case of physical payment and one day in case of e-payment or such shorter period as notified by the RBI from time to time.

(ii) The interest shall be levied on delayed remittance, calculated at the latest ' bank rate plus 2%', as notified by Reserve Bank of India from time to time. Interest shall be calculated for the period starting from the date of the receipt, as per challan in case of cash/transfer transaction or date of realization of cheque in case of clearing instruments by the receiving branch to the date preceding the date of settlement by the bank Link Cell with Reserve Bank of India Office.

(iii) Further, in exercise of the powers conferred under sub-rule (5) of Rule 31 of the said Rules, it is also prescribed that all registered dealers and contractees(TAN holders) making payment of tax, interest, penalty or any other amount due under Delhi Value Added Tax Act, 2004, shall fill up the challan on department's website (http://www.dvat.gov.in) both for physical/offline and e-payment/online. For physical payment/offline payment, the dealer will present the challan having unique Id, printed from the department's website and make the payment in cash or through cheque. The detailed process of physical/offline as well as e-payment/online is available on department's website.

(iv) The software developed by the Bank should generate all type of MIS reports required by the department and have to transmit data electronically/upload the data on website (http://www.dvat.gov.in) of the department on daily basis.

(v) The bank shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

3. This notification shall come into force with immediate effect.

सं. फा. 3(356)/नीति/वैट/2013/412-423.– मैं, प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 50 की उपधारा (7) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा विशिष्ट निर्देश देता हूँ कि जिन व्यापरियों ने इस 'अधिनियम' की धारा 16 के अंतर्गत कर भुगतान को चुना है, वे 'अधिनियम' की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले खुदरा इनवाइस में 'अधिनियम' की धारा 50 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विवरण के अतिरिक्त, आज के बाद इनवाइस के शीर्ष पर निम्न शब्दों को समाविष्ट करेंगे :

''कम्पोजिशन डीलर''
(बिल पर वैट चार्ज करने के लिए पात्र नहीं)

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

प्रशांत गोयल, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

No. F. 3(356)/Policy/VAT/2013/412-423.— In exercise of the powers conferred under sub section (7) of section 50 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (hereinafter called the 'Act') I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, do hereby specify, the dealers who have elected to pay tax under section 16 of the Act, that the retail invoice issued under sub section (4) of Section 50 of the Act, besides containing the particulars as specified in sub section (5) of Section 50 of the Act, henceforth shall also contain'the following words at the top of the invoice:

"Composition Dealer"
(Not eligible to charge VAT on Bill)

This notification shall come into force with immediate effect.

PRASHANT GOYAL, Commissiner, Value Added Tax

3096 DG/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.